

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.46/2020/1 S.2-

दिनांक: 05.08.2020

—: आदेश :-

राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम 2017 यथा संशोधित के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर इस न्यायक्षेत्र में पदस्थापित/कार्यरत श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा जमादार जिला एवं सत्र न्यायालय करौली हाल कार्यरत न्या. अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 हिण्डौन सिटी को तामील कुनिन्दा (प्रोसेस सर्वर) वेतनमान पे लेवल संख्या-04 के रिक्त पद पर अस्थायी रूप से तुरन्त प्रभाव से पदोन्नत किया जाता है। कर्मचारी का पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जा रहा है।

इसका इन्द्राज कर्मचारी के सेवा-रोल में किया जावे।


  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
करौली (राज.)

क्रमांक - स्था./प.46/2020/5432-35

दिनांक: 05.08.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 हिण्डौन सिटी
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा जिला न्यायालय करौली
3. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01) हिण्डौन सिटी
4. श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा जमादार जिला न्या. करौली हाल कार्यरत ए.डी.जे. न.01 हिण्डौन सिटी
5. आदेश / निजी / संबंधित पत्रावली

  
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
करौली (राज.)

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक : स्था./प.46/2020/1.S\

दिनांक: 05.08.2020

-: आदेश :-

इस न्यायक्षेत्र में तामील कुनिन्दा तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लिपिक ग्रेड-11 पे लेवल संख्या-05 के पद हेतु 1:2 अनुपात में (01 तामील कुनिन्दा तथा 02 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) निर्धारित 25 प्रतिशत पदोन्नति कोटे में राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम 1986 यथा संशोधित के अनुसार 07 लिपिक ग्रेड-11 के रिक्त पदों पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (उच्च माध्यमिक व कम्प्युटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण) रखने वाले तामील कुनिन्दाओं व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण में से विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित तामील कुनिन्दाओं तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को पूर्ण रूप से अस्थायी तौर पर उनके द्वारा कर्तव्य पर उपस्थिति की दिनांक से एक वर्ष की परीक्षा पर लिपिक ग्रेड-11 के पद पर वेतनमान पे-लेवल संख्या-05 में निम्न शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है -

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन कार्यालय	शैक्षणिक योग्यता
01	श्री राजकुमार नापित	तामिल कुनिन्दा, न्या. सि.न्या एवं न्या.मजि श्रीमहावीरजी हाल कार्यरत न्या. व.सि.न्या एवं मुख्य न्या.मजि करौली	Senior Secondary & RS-CIT
02	श्री सतोष कुमार शर्मा	तामिल कुनिन्दा, न्या. सि.न्या एवं न्या.मजि सपोटरा	Senior Secondary & RS-CIT
03	श्री सतीश चंद गुप्ता	तामिल कुनिन्दा, न्या. अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01 हिण्डौन सिटी	B.A. 11th Year & RS-CIT
04	श्री मनोज उग्रती	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्या. व.सि.न्या एवं मुख्य न्या.मजि, करौली	B.A. & RS-CIT
05	श्री जगमोहन भीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्या. सि.न्या. एवं न्या.मजि श्रीमहावीरजी	Senior Secondary & RS-CIT
06	श्री प्रवीण पाराशर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्या. अति. व.सि.न्या एवं अति मुख्य न्या.मजि करौली	Graduate & RS-CIT
07	श्री दिनेश कुमार भीणा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, न्या. वि.न्या अजा / अजा (अ.नि.) प्रकरण करौली,	B.A. & RS-CIT

शर्त :- उक्त पदोन्नत कर्मचारीगण में से किसी कर्मचारी का परीक्षा अवधि में कार्य, व्यवहार एवं चरित्र सतोषजनक नहीं पाये जाने तथा लिपिक ग्रेड-11 के स्वीकृत पदों में कमी होने अथवा उक्त में से किसी कर्मचारी की सेवाओं की आवश्यकता नहीं होने पर उनकी अस्थायी पदोन्नति तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी।

संबंधित कर्मचारी की सेवा-रोल/सेवा-पुस्तिका में आवश्यक इन्द्राज किया जावे। उक्त नव-पदोन्नत लिपिक ग्रेड-11 के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
करौली (राज.)

दिनांक: 05.08.2020

क्रमांक : स्था./प.46/2020/5410-31

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित न्यायालय .....
2. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा जिला न्यायालय करौली
3. प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा (अति. जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-01) हिण्डौन सिटी
4. संबंधित कर्मचारी श्री .....
5. आदेश/निजी/संबंधित पत्रावली

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
करौली (राज.)


**OFFICE OF THE DISTRICT & SESSIONS COURT,**  
**KARAULI (RAJ.)**

S.No.: Estt./F.35/2020/128

Dated : 07.07.2020

**ORDER**

Consequent upon the retirement of Protocol Officer-cum-Administrative Officer on 30.06.2020 and on falling vacant of the post, Shri Gopal Lal Sharma being the senior most Chief Ministerial Officer/ Senior Munsrim of the District Court/Judgeship and considering his experience, merit and seniority as per rule 14(9) of RAJASTHAN DISTRICT COURTS MINISTERIAL ESTABLISHMENT RULES 1986 (AS AMENDED UPTO 27.12.2019), he is promoted to the post of Protocol Officer-cum-Administrative Officer in the Scale of 15600-39100 G.P. 6600 (L-16). He shall be entitled to Grade Pay of Protocol Officer-cum-Administrative Officer from the day he enters upon his office. Necessary entries be made in his Service Book.


  
(Harun)  
District & Sessions Judge,  
Karauli (Raj.)

S.No.: Estt./F.35/2020/4804-05

Dated : 07.07.2020

A Copy is forwarded for information and necessary action:

1. Officer Incharge, Account Section, District Court Karauli.
2. Shri Gopal Lal Sharma, Sr. Munsrim, District Court, Karauli.
3. Order/Personal/Related File.

  
District & Sessions Judge,  
Karauli (Raj.)